

राजभाषा का प्रचार-प्रसार Propagation of Official Language



संघ सरकार की राजभाषा नीति, अधिनियम व नियमों को लागू करने तथा कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने के लिए गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले सभी कार्यालयीन दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद कार्य हिंदी प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन करने के अलावा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी लागू की गई हैं।

वार्षिक प्रोत्साहन योजना

सरकारी काम काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए बोर्ड में वार्षिक प्रोत्साहन योजना 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक थी। इस योजना के तहत अपना सरकारी काम हिंदी में करने के लिए 10 अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान था।

हिंदी प्रोत्साहन भत्ता योजना

अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी कार्य करने के लिए कनिष्ठ सहायकों को "हिंदी प्रोत्साहन भत्ता" देने की योजना लागू की गई है। इस योजना के अधीन एक निर्धारित मात्रा में सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अंग्रेजी टाइपिस्टों को रुपये 80/- प्रति माह की दर से विशेष प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जाता है।

Hindi Cell has been established in CBSE to assist in the implementation of the Official Language Policy of the Union Government, Act, Rules and to achieve the targets prescribed in annual programme issued from time to time by MHA, Department of official language for transacting the official work in Hindi.

All official documents contained under section 3(3) of the Official Language Act 1963 are translated from English to Hindi by Hindi Cell. Besides, organizing quarterly official Language Committee meeting, various incentive schemes have also been implemented in the Board.

Annual Incentive Scheme

In order to propagate the use of Hindi, an annual incentive scheme was implemented in the Board for officers/personnel from 1st April 2010 to 31st March 2011. There was a provision of cash rewards to 10 officers/personnel under this scheme.

Hindi Incentive Allowance Scheme

A Scheme of granting Hindi incentive Allowance to Junior Assistants for doing official work in Hindi in addition to English has been implemented in the Board. Under this Scheme a special incentive allowance of Rs. 80/- is allowed to English typist for doing prescribed quantum of official work in Hindi also.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

बोर्ड मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन अध्यक्ष, सीबीएसई की अध्यक्षता में किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। तिमाही बैठकों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाता है। समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 पर दी गई है।

हिंदी टंकण में प्रशिक्षण

कनिष्ठ सहायक स्तर के कर्मचारियों के लिए बोर्ड मुख्यालय में छह माह की अवधि के हिंदी टंकण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में 10 कर्मचारियों ने भाग लिया जिनमें से 07 हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित हिंदी टंकण परीक्षा में शामिल हुए।

हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोर्ड मुख्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर 01 सितम्बर, 2010 से 15 सितम्बर, 2010 तक पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए हिंदी टिप्पण व प्रारूपण, निबंध, टंकण, कविता पाठ, वाद-विवाद तथा सुलेख एवं श्रुतलेख आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।

Official Language Implementation Committee

The Official Language implementation Committee headed by the Chairman of the CBSE has been set up in the Board HQ. Meeting of official Language Committee is organized quarterly. Representatives of MHRD and Regional Implementation office of official Language department are also invited in quarterly meetings. List of the members of the official Language implementation Committee is given at Appendix – I.

Training in Hindi Typing

The Hindi Typing Training was held for Junior Assistant level officers for the period of six month in Board Head quarter. 10 personnel participated in this Training out of which 07 appeared in Hindi Typing exam. under Hindi Teaching Scheme.

Celebration of Hindi Day and Hindi Fortnight

Under the guidelines issued by MHA, Department of official language and MHRD, the Board celebrated Hindi Fortnight from 1st September 2010 to 15th September 2010, Various Hindi Competitions such as noting/ drafting, Essay writing, typing, reciting, debate and handwriting/ Dictation were conducted for the officers/ personnel of the Board. Cash rewards and commendation certificates were also awarded to the winners of these Competitions.

हिंदी कार्यशाला

बोर्ड मुख्यालय में हिंदी में काम काज करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सहायता के लिए दिनांक 23.06.2010 से 24.06.2010, 18.08.2010 से 20.08.2010 तथा 23.02.2011 से 24.02.2011 तक तीन हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

अनुवाद कार्य

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत आने वाले दस्तावेजों के अलावा निम्नलिखित का अनुवाद भी किया गया :

- केमाशिबो. वार्षिक रिपोर्ट –2009–10
- सीबीएसई एस जी ए आई–2011
- स्थल मूल्यांकन के लिय दिशा–निर्देश पुस्तिका

Hindi Workshop

To help the officers/personnel working in Hindi, Three Hindi Workshops were organized in Board Headquarter from 23.06.2010 to 24.06.2010, 18.08.2010 to 20.08.2010 and 23.02.2011 to 24.02.2011.

Translation Work

Apart from the documents contained in Section 3(3) of the Official Language Act 1963, the following documents have also been translated :

- CBSE Annual Report 2009-2010
- CBSE SGAI - 2011
- Guidelines for Spot Evaluation



सीनियर स्कूल
सर्टिफिकेट परीक्षा
परिणाम
Senior School
Certificate
Examination
Results
2010

परीक्षा अवधि

3 मार्च 2010 से
8 अप्रैल 2010

परीक्षाफल घोषणा तिथि

19 मई 2010

अजमेर
चैन्नई
पंचकुला

21 मई 2010

दिल्ली
गुवाहाटी
इलाहाबाद

Duration of Examination

3rd March 2010 to
8th April 2010

Date of Declaration of Results

19 May 2010

Ajmer,
Chennai
Panchkula

21 May 2010

Delhi
Guwahati
Allahabad

मुख्य बातें





वर्ष 2010 में कक्षा XII की परीक्षा हेतु कुल 700983 परीक्षार्थी पंजीकृत हुये।

- ♦ उत्तीर्ण प्रतिशत 79.87
- ♦ छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.28 रहा जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 75.90 रहा।
- ♦ संस्थागत नियमित परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.95 जबकि प्राइवेट परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 41.99 रहा।
- ♦ क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई का उत्तीर्ण प्रतिशत 92.17 रहा जो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्चतम था।

Highlights

In all 700983 candidates registered for the examination held in 2010.

- ♦ Overall pass percentage was 79.87.
- ♦ Girls performed better than boys. Pass percentage of girls was 85.28 as compared to that of boys which was 75.90.
- ♦ Pass percentage of regular students was 81.95 as compared to 41.99 of private/patrachar candidates.
- ♦ Overall pass percentage of Chennai region was 92.17, the highest as Compared to other regions.





सेकेंडरी स्कूल
सर्टिफिकेट परीक्षा
परिणाम
Secondary School
Certificate
Examination
Results
2010

परीक्षा अवधि

3 मार्च 2010 से
31 मार्च 2010

परीक्षाफल घोषणा तिथि

28 मई 2010

अजमेर

चैन्नई

पंचकुला

दिल्ली

गुवाहाटी

इलाहाबाद

Duration of Examination

3rd March 2010 to
31st March 2010

Date of Declaration of Results

28 May 2010

Ajmer

Chennai

Panchkula

Delhi

Guwahati

Allahabad

मुख्य बातें

इस वर्ष में कक्षा – 10 की परीक्षा हेतु कुल 902747 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए। पिछले वर्ष की तुलना में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या में 9.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2009 के परीक्षाफल की तुलना में उत्तीर्ण प्रतिशत में 0.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2009 का उत्तीर्ण प्रतिशत --> 88.84

वर्ष 2010 का उत्तीर्ण प्रतिशत --> 89.28

- छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.68 रहा जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.30 रहा।
- क्षेत्रीय कार्यालय चैन्नई का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.18 रहा जो सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में उच्चतम था।

Highlights





In all 902747 candidates registered for the examination this year. There was an increase of approximately 9.50% candidates over last year.

- There was an increase of 0.44% in the overall pass percentage as compared to 2009 results.

Pass percentage of 2009 --> 88.84

Pass percentage of 2010 --> 89.28

- Girls performed better than boys. Pass percentage of girls was 90.68 as compared to that of boys which was 88.30.
- Overall pass percentage of Chennai region was 96.18, the highest as compared to other regions.



2010 की परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना

- ♦ कक्षा XII के विद्यार्थी पहली बार ग्राफिक डिजाईन पाठ्यक्रम (कोड सं. 71) और हेरिटेज क्राफ्ट (कोड सं. 70) की परीक्षा में बैठें। दोनों विषयों के नमूना प्रश्न-पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर डाल दिए गए।
- ♦ नई ग्रेडिंग प्रणाली वर्ष 2009-10 शैक्षिक सत्र से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा IX, एवं कक्षा X के लिए लागू की गई। ग्रेडिंग योजना का विवरण विद्यालयों को परिचालित कर दिया गया।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योगात्मक के अर्न्तगत निर्धारण-II में कक्षा-9 को मार्च 2010 परीक्षा

- ♦ कक्षा-9 के योगात्मक निर्धारण-II के लिए भिन्न-भिन्न विषयों में पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रश्न-पत्र डिजाइन बोर्ड द्वारा परिचालित किए गए।
- ♦ योगात्मक निर्धारण लिखित परीक्षा के रूप में हुआ जो स्वयं विद्यालयों द्वारा आयोजित किया गया।
- ♦ मानक एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा भिन्न-भिन्न विषयों में प्रश्न पत्र बैंक विद्यालयों में भेजे गये।
- ♦ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई अंकन योजना के आधार पर किया गया।
- ♦ विद्यालयों द्वारा अपनाई गई निर्धारित प्रक्रिया का यादृच्छिक सत्यापन बोर्ड के पदाधिकारियों/बोर्ड द्वारा नियुक्त नामितियों द्वारा किया गया।

Important Information Regarding 2010 Examinations

- ♦ Class XII Student was appeared for the first time in Graphics Design Course (Code NO – 71) and Heritage Crafts (Code no 70). Sample Question papers in both the subjects were posted on the Board's website.
- ♦ The new Grading system was introduced at Secondary School level (for Classes IX & X) from 2009-10 Academic Sessions. The details of grading scheme were circulated to schools.

Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) Class-IX March 2010 Examination under Summative Assessment-II

- ♦ Syllabus and Examination Question Paper Design in different subjects for Class IX Summative Assessment II were circulated by the Board.
- ♦ The Summative assessment in the form of a written test was conducted by the schools.
- ♦ In order to ensure standardization and uniformity, Question Paper Banks in different subjects were sent by the Board to schools.
- ♦ Evaluation of answer scripts was done by the school teachers themselves on the basis of the Marking Scheme provided by the Board.
- ♦ Random verification of the assessment procedures carried out by schools was done by the Board officials/nominees.

नेत्रहीन छात्रों के लिए कक्षा 10वीं में ब्रेल में प्रश्न पत्र

सीबीएसई ने पहली बार कक्षा 10 के नेत्रहीन छात्रों के लिए गणित एवं विज्ञान के प्रश्न पत्र ब्रेल में देने का निर्णय लिया। इन विद्यार्थियों को पहले ही अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान में बड़े प्रिंट तथा दृश्य प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं।

प्रतिदर्श प्रश्न पत्र

सभी विषयों के संशोधित नमूना प्रश्न पत्र, प्रकाशित हुये और सीबीएसई की वेबसाइट पर मार्च 2010 की परीक्षा के लिए अपलोड किये गये। कम्प्यूटर विज्ञान, मल्टी मीडिया और वैब टेक्नोलोजी, इन्फोमेटिक टेक्नोलोजी, प्रैक्टिस कृषि गृह-विज्ञान, इन्जीनियरिंग ग्राफिक्स कक्षा XII और फाउण्डेशन आफ इन्फमिशन टेक्नोलोजी कक्षा X विषयों के पहली बार नमूना प्रश्न पत्र प्रकाशित किये गये।

परीक्षाओं के निर्बाद्ध आयोजन के लिए तैयारियां

- (i) सीलबंद प्रश्न-पत्रों के पैकेट कम से कम चार सहायक अधीक्षकों की उपस्थिति में खोले गये जिनमें से एक गवाह के रूप में परीक्षा-केन्द्र वाले विद्यालय से बाहर का भी था।
- (ii) दिल्ली और बाहरी संवेदनशील केन्द्रों पर पूर्ण अवधि के लिए प्रेक्षक (आब्जर्वर) नियुक्त किए गये।
- (iii) बोर्ड ने देश-भर में निर्बाध रूप से परीक्षाओं को संचालित करने के लिए राज्य तंत्र और स्थानीय पुलिस के साथ व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया।

Question Papers in Braille for Class X Visually Impaired Students

The Board for the first time decided to provide class X question papers of Maths and Science in Braille to blind candidates. Already question papers without visual inputs are being provided in enlarged print to these students in the subjects of English and Social Science.

Sample Question Papers

Sample Question Papers in all subjects were revised, published and uploaded on the Board's website for March 2010 examination. A special feature was the publication of sample question papers in the subjects of Computer Science, Multi Media and Web Technology, Informatics Practices, Agriculture, Home Science, Engineering Graphics, in class XII and foundation of Information Technology in class X for the first time.

Preparations for Smooth Conduct of Examinations

- (i) The sealed question paper packets were opened in the presence of at least four Asstt. Superintendents one of them had to be from the School other than the examination centre as a witness.
- (ii) Appointment of full time observers at sensitive centres in Delhi and outside was ensured.
- (iii) The Board also finalized the arrangement with the State machinery, local police to ensure trouble free examinations throughout the country.

- (iv) अनुचित स्थानापन्न को रोकने के लिए प्राईवेट परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्रों पर स्कैन किए हुए फोटोग्राफ उपलब्ध करवाएं गए।
- (v) औचक निरीक्षण के लिए सी.बी.एस.ई. ने 3 स्तरीय व्यवस्था की:
- (क) सी.बी.एस.ई. उड़न-दस्ते
- (ख) शिक्षा – निदेशालय, दिल्ली के उड़न-दस्ते
- (ग) बाहरी विशेष प्रेक्षक
- (vi) कक्षा–XII के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का निरीक्षण करने हेतु प्रेक्षक (आर्ब्वर) नियुक्त किए गए।
- (vii) कक्षा–XII के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन को मानीटर करने हेतु इस वर्ष भी प्रमुख नोडल प्रैक्टिकल परीक्षक नियुक्त किए गए।

निर्विध्न मूल्यांकन

- (क) जिन शहरों में विद्यालयों की संख्या अधिक थी और एक विषय में तीन या अधिक मुख्य परीक्षक शामिल थे उनमें मूल्यांकन के लिए चीफ नोडल सुपरवाइजर के रूप में विद्यालय के प्राचार्य नियुक्त किये गये। चीफ नोडल सुपरवाइजर उसी विषय के प्रभारी थे जिस विषय में उन्होंने पी.जी.टी. या प्राचार्य के रूप में पढ़ाया था या पढ़ा रहे थे। इससे मूल्यांकन कार्य के उचित प्रबंधन, पर्यवेक्षण और उसे समय पर पूरा करने में सहायता मिली।

- (iv) Scanned photographs of Private candidates were provided on admission cards to avoid impersonation or any other possible use of unfair means.
- (v) CBSE had a 3 tier arrangement for surprise checking:
- a) CBSE flying squads
- b) Flying squads from Directorate of Education, Delhi
- c) Special observers from outside.
- (vi) Observers were appointed to oversee the conduct of practical examination for class XII.
- (vii) Chief Nodal Practical Examiners were appointed this year also to monitor the proper conduct of practical examinations for class XII.

Smooth Evaluation

- (a) The Board appointed School principals as Chief Nodal Supervisors for evaluation purpose in cities where the number of schools was large and three or more Head Examiners were involved in a subject. The Chief Nodal Supervisors were put in charge of the same subject, which he or she had taught or had been teaching as PGT or Principal. This ensured proper manageability, supervision and timely completion of evaluation work.

(ख) पर्यवेक्षण सारणी प्रश्न-पत्रों के विषय में परीक्षार्थियों की न्यायसंगत शिकायतों के निपटान हेतु सभी विद्यालयों के प्राचार्यों को पर्यवेक्षण प्रपत्र भेजे गए जिससे वे संबंधित विषय की परीक्षा के आयोजन के 24 घंटे के भीतर अपने सुझाव दर्ज कर अग्रेषित कर सकें ताकि अंकन-योजना तैयार करते समय विशेषज्ञों द्वारा उन पर विचार किया जा सके।

(ग) अनिवार्य मूल्यांकन वार्षिक अभिलेख में प्रविष्टि से बचने के लिये मूल्यांकन के लिए चयन किए गए शिक्षकों को निर्धारित तिथि एवं समय पर रिपोर्ट करनी थी। विद्यालय द्वारा शिक्षकों को कार्यमुक्त न करने पर उस संस्थान के परिणाम रोके जा सकते थे। बोर्ड उनकी सम्बद्धता रद्द करने की कार्रवाई करने पर भी विचार कर सकता था।

संस्तंभी, शारीरिक रूप से विकलांग, नेत्रहीन, ऑटिज़्म, भाषण अक्षमता, संस्तंभी और पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता वाले विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं:

01. मिडिल स्कूल (अर्थात् आठवीं कक्षा) स्तर तक तृतीय भाषा के अध्ययन से छूट।
02. सेकेन्ड्री स्कूल स्तर पर एक छात्र के लिए एक भाषा और निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से कोई चार लेने का विकल्प है:

गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य भाषा, संगीत, पेटिंग, गृह विज्ञान, एवं प्रारंभिक सूचना प्रौद्योगिकी, कॉमर्स, (ऐलिमेन्ट्स ऑफ कॉमर्स) एवं कॉमर्स (ऐलिमेन्ट्स बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी)।

(b) **Observation Schedules:** To give fair deal and redress genuine grievances of the students, observation schedules were sent to all the schools principals to record and forward their suggestions within 24 hours of the conduct of examination of concerned subject so that these could be considered by the expert group while preparing the marking schemes.

(c) **Mandatory Evaluation** Teachers selected for evaluation work had to report on the appointed date and time to avoid a mention in their annual records. Non-release of teachers by any school could lead to withholding the result of the defaulting institution. The Board could also consider and initiate disaffiliation proceedings.

Exemptions Given to Blind, Physically Handicapped, Autistic, Dyslexic, Spastic and Candidates with Disabilities as Defined in the Persons with Disabilities Act, 1995:

1. Exemption from studying third language up to middle school level (i.e. Class VIII).
2. At Secondary School level a candidate has an option to opt for one language and any four of the following electives.

Mathematics, Science, Social Science, Another Language, Music, Painting, Home Science, Introductory Information Technology, Commerce (Elements of Commerce) and Commerce (Elements of Book Keeping and Accountancy)

03. लेखन सहायक के प्रयोग की अनुमति।
04. लेखन सहायक परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी से छोटी कक्षा का विद्यार्थी होता है।
05. परीक्षा केन्द्र अधीक्षक उपयुक्त लेखन सहायक चुनकर उसका विवरण विचारार्थ और अनुमोदन के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को भेजता है।
06. उपरोक्त श्रेणी के विशेष विद्यार्थियों को लेखन सहायक की निःशुल्क सेवायें दी जाती हैं।
07. लेखन सहायक को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है जो इस समय रू0 100/- प्रति दिन है।
08. परीक्षार्थियों को सभी या किसी भी एक पेपर में लेखन सहायक की अनुमति दी जाती है।
09. यदि परीक्षार्थियों को डाईग्राम इत्यादि स्वयं बनाने की इच्छा हो तो यह अनुमति दी जा सकती है।
10. कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने वाले विशेष श्रेणी के विद्यार्थियों को नये नियम के अनुसार निम्नानुसार अतिरिक्त समय की अनुमति दी जाती है
 - क) तीन घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 60 मिनट।
 - ख) ढाई घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 50 मिनट।
 - ग) दो घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 40 मिनट।
 - घ) डेढ़ घण्टे की अवधि के प्रत्येक पेपर के लिए 30 मिनट।
11. केन्द्र अधीक्षक उपरोक्त श्रेणी के परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था जहां तक संभव हो भूतल पर करते हैं।
3. Permission to use an amanuensis.
4. The Amanuensis is a student of class lower than the one for which the candidate will be taking the examination.
5. The Centre Superintendent of the Examination Centre chooses a suitable amanuensis and forwards his/her particulars to the Regional Officer concerned for consideration and approval.
6. The services of amanuensis are provided free of cost to the above mentioned categories of candidates.
7. The amanuensis is paid remuneration as prescribed from time to time by the Board, which at present is Rs.100/- per day.
8. The candidate are permitted to use the services of an amanuensis in all or any of the papers.
9. The candidate are permitted to draw the diagrams etc. themselves, if desired by them.
10. As per the new rule the special category students appearing for X or XII examination are allowed additional time as given below:
 - (i) Sixty minutes for a paper of three hours duration.
 - (ii) Fifty minutes for a paper of 2 ½ hours duration.
 - (iii) Forty minutes for a paper of two hours duration.
 - (iv) Thirty minutes for a paper of 1 ½ hours duration.
11. The Centre Superintendent shall make the sitting arrangements for special category candidates on the ground floor, as far as possible.

12. कक्षा 10वीं के कम्यूनिकेटिव इंग्लिश और सामान्य विज्ञान विषय में तथा कक्षा 12वीं में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए दृश्य प्रश्नों के स्थान पर वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं।
13. कक्षा X के नेत्रहीन छात्रों के लिये गणित एवं विज्ञान के प्रश्न पत्र ब्रेल में दिये जाते हैं।
14. क्षीणदृष्टि वाले परीक्षार्थियों को कक्षा 10वीं में विज्ञान और गणित के लिए बड़े प्रिंट में प्रश्न-पत्र दिये जाते हैं।
15. केन्द्र अधीक्षकों को विशेष वर्ग के परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं को एक अलग कवर में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए जाते हैं।
16. इन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कुछ चुने हुए विद्यालयों को ही परीक्षा केन्द्र बनाया जाता है।
17. दिल्ली में नेत्रहीन परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए कम्प्यूटर या टाइपराइटर के प्रयोग करने की सुविधा है।
18. नेत्रहीन विद्यालयों के अध्यापकों को ही सहायक अधीक्षक (निरीक्षक) के रूप में परीक्षा केन्द्रों पर नियुक्त किया जाता है। तथापि सावधानी के तौर पर भिन्न दिनों में भिन्न विषयों के अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं।
19. परीक्षार्थियों के लिए उत्तर-पुस्तिका के ऊपर पृष्ठ पर एक अलग कॉलम दर्शाया गया है ताकि ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को अलग से भिजवाया जा सके।
20. परीक्षार्थियों के लिए गणना का कार्य स्वयं करना अनिवार्य नहीं है।
12. Alternative type questions are provided in lieu of questions having visual inputs for the blind candidates in English Communicative and Social Science for Class X and History, Geography and Economics and Political Science for Class XII.
13. Question papers of Maths and Science in Braille for class X for blind candidate.
14. Separate question papers in enlarged print for Mathematics and Science in Class X are provided for candidates having visual impairment.
15. The Centre Superintendent(s) are directed to send the answer books of special category students in separate covers to the concerned Regional Office.
16. To facilitate easy access, a few selected schools are made examination centres for special students.
17. Blind candidates from Delhi have the facility to use computer or a typewriter for writing answers.
18. Teachers from blind schools are appointed as Assistant Superintendent(s) (Invigilators) at the special examination centres. However, precaution is taken to appoint different subject teachers on different days.
19. A separate column has been provided on the title page of the answer book for indicating the category challenged candidates so that these answer books could be segregated for sending them separately to the Regional Office of the Board.
20. It is not mandatory for these candidates to do the calculations themselves.



सीबीएसई काउंसलिंग CBSE Counselling

सीबीएसई ने यह अग्रगामी सामुदायिक कार्य 13 वर्ष पूर्व 1998 में पहली बार टेलीकाउंसलिंग से आरंभ किया था। सीबीएसई टेलीकाउंसलिंग की विशिष्टताएं हैं कि:

- 1 यह सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा संचालित की जाती है।
- 2 यह सेवा स्वैच्छिक एवं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
- 3 यह सेवा वर्ष में दो बार प्रथम चरण परीक्षा से पूर्व तथा द्वितीय चरण में परिणामों के उपरान्त संचालित की जाती है।

प्रथम चरण: फरवरी-मार्च 2010 पूर्व परीक्षा काउंसलिंग

इस वर्ष सीबीएसई से सम्बद्ध राजकीय और प्राइवेट विद्यालयों के 52 प्राचार्य, प्रशिक्षित काउंसलर मनोवैज्ञानिक और समाज-वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत रूप से इस हेल्पलाइन को सुबह 8 बजे से अर्धरात्री तक 49 जगहों पर भारत में संचालित किया गया। भारत से बाहर दुबई, कुवैत, दोहा-कतर, शारजाह में तीन हेल्पलाइन केन्द्र बनाए गए।

द्वितीय चरण: परिणाम के बाद काउंसलिंग

सीबीएसई से सम्बद्ध राजकीय और प्राइवेट विद्यालयों के 40 प्राचार्य प्रशिक्षित काउंसलर मनोवैज्ञानिक और समाजजिक वैज्ञानिक इस हेल्पलाइन पर सुबह 8:00 बजे से अर्धरात्रि तक सहायता के लिय उपलब्ध थे जिसमे से 37 भागीदार भारत में और 3 केन्द्र दुबई दोहाकातर और कुवैत में थे।

CBSE started this pioneering community work 13 years back in 1998 for the first time. The highlights of CBSE Tele-counselling are:

- 1 It is offered by trained counselors and Principals from within CBSE affiliated schools located in and outside India.
- 2 It is a voluntary, free of cost service provided by the participants.
- 3 It is offered twice in the year Phase I- Pre Exam, Phase II- Post Result.

Ist Phase : Feb- March 2010 - Pre Examination Counseling

This year as many as 52 Principals, trained counselors from CBSE affiliated govt. and private schools, psychologists and social scientists provide counseling from 8 A.M. upto mid-night from 49 locations in India. There were 3 helpline centres outside India also at Kuwait, Dubai and Doha Qatar.

IInd Phase : Post result Counseling

As many as 40 principals, trained counselors from CBSE affiliated govt. and private schools, psychologists and social scientists were available to provide help from 8 AM- upto midnight. Out of these 37 participants are located in India and 3 centers in Dubai, Doha-Qatar, Kuwait.

विशेष वर्ग के बच्चों के लिये काउंसलिंग

विशेष बच्चों की आवश्यकताओं और चिंता को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई द्वारा पिछले वर्ष विशेष वर्ग के बच्चों को परामर्श देने की सुविधा आरम्भ की गई थी। यह सुविधा इस वर्ष भी उपलब्ध थी।

आई वी आर एस (इंटरएक्टिव वायस रिसपांस सिस्टम)

देश में किसी शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई यह पहली सुविधा है। सीबीएसई ने इंटरएक्टिव वायस रिसपांस सिस्टम" (आई वी आर एस) पद्धति द्वारा टेलीकाउंसलिंग निरंतर छठे वर्ष बीएसएनएल/रिलरइन्स/एयरटेल पर उपलब्ध करवाए जाने के प्रयास किए।

सीबीएसई वेबसाइट: परीक्षा एवं परिणामों के बाद की स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव सीबीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए।

प्रश्न-उत्तर कॉलम

सीबीएसई ने फरवरी माह में प्रश्न उत्तर कॉलम के लिए प्रमुख राष्ट्रीय समाचार-पत्रों जैसे, द हिन्दू, हिन्दुस्तान टाइम्स तथा पहली बार डैकान क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्रों से भी सहभागिता की।

23वीं अखिल भारतीय प्री मेडिकल/प्री डेंटल प्रवेश परीक्षा

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में 23 वीं अखिल भारतीय प्री मेडिकल/प्री डेंटल प्रवेश परीक्षा दो चरणों में 3 अप्रैल (प्रारंभिक) तथा 16 मई 2010 (मुख्य) को संपन्न हुई। प्रारंभिक परीक्षा में 146230 परीक्षार्थी बैठे। मुख्य परीक्षा के लिए 14217 सफल हुये तथा 4672 परीक्षार्थी मेरिट तथा प्रतीक्षा सूची में थे।

Counseling for Specially abled Children

The facility to provide counseling to **specially abled children** was started by the CBSE last year to take care of the need and anxiety of special children. The facility was available this year also.

IVRS (Interactive Voice Response System)

First to be introduced by any Board of Education in the country, CBSE has made a unique effort to provide Tele-counseling through Interactive Voice Response System (IVRS) mode. The service was available for the sixth consecutive year on BSNL/Airtel/ Reliance Phone.

CBSE website: Techniques to cope with exam and result related anxiety were also provided at the CBSE website.

Question-Answer Columns

CBSE has tied-up with national papers Like The Hindu, Hindustan Times and for the first time with Deccan Chronicle for weekly Question Answer Columns throughout the month of February to answer queries of students by CBSE experts.

23rd All India Pre-Medical/ Pre-Dental Entrance Examination

In pursuance of the Supreme Court of India directive, the 23rd All India Pre-Medical/ Pre-Dental Entrance Examination was conducted in two phases on 3rd April, (preliminary) & on 16th May, 2010 (final). 146230 candidates appeared in the preliminary examination. 14217 candidates qualified for the final examination 4672 candidates were placed in merit and wait list.

नौवीं अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

9वीं अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा 25 अप्रैल 2010 को आयोजित की गई। यह परीक्षा राजधानी शहरों में स्थित 1623 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की गई। जिसमें रियाद और दुबई भी शामिल थे। इस बार 1065100 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) के अंतर्गत कार्रवाई योजना (पी.ओ.ए.) 1992 के अनुसरण में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सीबीएसई को वर्ष 2002 से अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/ भेषजी/वास्तुकला प्रवेश परीक्षा (ए.आई.ई.ई.ई.) के संचालन का दायित्व सौंपा गया है ताकि मानित विश्वविद्यालयों, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.ई.) के अंतर्गत आने वाले संस्थानों से इतर केन्द्रीय संस्थानों तथा राज्यों/संघशासित प्रदेशों में स्थित संस्थानों में निःशुल्क तथा सशुल्क दोनों प्रकार की सीटों के लिए इंजीनियरिंग, भेषजी तथा वास्तुकला के कार्यक्रमों को उपलब्ध करवाने वाले संस्थानों के व्यावसायिक एवं तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के दोहराव को कम किया जा सके।

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा

बोर्ड द्वारा एक वर्ष में तीन बार जे.एन.वी. में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षाएं संचालित की जाती हैं। ग्रीष्मबद्ध विद्यालयों के लिए फरवरी, शरदबद्ध विद्यालयों के लिए अप्रैल में इन परीक्षाओं का संचालन किया जाता है। जे.एन.वी. द्वारा स्थापित नए विद्यालयों के लिए जून परीक्षा 2010 में संचालित की गई। वर्ष 2010 में 14,23,000 परीक्षार्थी फरवरी/अप्रैल/जून माह में संचालित परीक्षाओं में बैठे।

9th All India Engineering Entrance Examination

The 9th All India Engineering Entrance Examination was conducted on 25th April, 2010. In all there were 1623 examination centres located in capital including Riyadh and Dubai. 1065100 Candidates appeared in exam this year.

In pursuance of Programme of Action (POA), 1992 under the National Policy of Education (1986), the Government of India, Ministry of Human Resource Development assigned the responsibility to the CBSE for conducting All India Engineering/ Pharmacy/ Architecture Entrance Examination (AIEEE) from the year 2002 with a view to reduce the multiplicity of tests for admissions to professional & technical programmes in the country to cater to Engineering, Pharmacy and Architecture programmes offered in the Deemed Universities, Central Institutions other than those covered by Joint Entrance Examination (JEE) and institutions in the States/UT's for both the free/ payment seats.

Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test

The selection tests for admission to Class VI in JNVs are conducted by the Board thrice a year, February for summer bound schools, April for winter bound schools. For newly established JNVs, the examination was conducted in June, 2010 in place of September-October. Similarly, a special examination for newly established JNVs was also conducted in June 2010. 14,23,000 candidates appeared in February/April/June 2010 examinations.

जे एन वी मे कक्षा नौवीं के लिए चयन परीक्षा

सीबीएसई द्वारा कक्षा नौवीं में प्रवेश परीक्षा का भी संचालन किया जाता है। मई 2010 में परीक्षा में लगभग 84160 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

Selection Test for Class IX fo JNV

CBSE also conducts the examination for admission to class IX. 84160 approx candidates appeared in the examination, which was held in May 2010.





ग्रेडिंग Grading

- ◆ ग्रेडिंग प्रणाली वर्ष 2009–10 शैक्षिक सत्र से माध्यमिक विद्यालय स्तर पर कक्षा IX एवं कक्षा X के लिए लागू की जा चुकी है। ग्रेडिंग योजना का विवरण विद्यालयों को सक्रुलर सख्यां 40 द्वारा परिचालित कर दिया गया है जो सीबीएसई की वेबसाईट www.cbse.nic.in पर भी उपलब्ध है।

ग्रेडिंग योजना का उद्देश्य

- ◆ यह अंकों के आधार पर छात्रों के अनुचित वर्गीकरण को कम करेगी।
- ◆ यह उच्च लक्ष्य प्राप्त करने वालों के बीच हानिप्रद कटु प्रतियोगिता को दूर करेगी।
- ◆ यह समाजिक दबाव को कम करेगी और शिक्षार्थी को सीख के अवसर प्रदान करेगी।
- ◆ इससे एक बेहतर अधिगम वातावरण पर फोकस करेगी।
- ◆ इससे आनन्दमय और तनावमुक्त अधिगम को बढ़ावा मिलेगा।

परीक्षा की योजना (ग्रेडिंग)

- ◆ छात्र के निष्पादन का निर्धारण संख्यात्मक अंकन की परम्परागत पद्धति से किया गया है।
- ◆ विषयवार निष्पादन दर्शाने के लिए एक नौ बिंदु मान के आधार पर 'ग्रेड' प्रदान किए गये हैं।

- ◆ The Grading system has been introduced at Secondary School level (for Classes IX & X) effective from 2009-10 Academic Sessions. The details of grading scheme have been circulated to school vide circular 40 also available on website www.cbse.nic.in.

Aim of Introducing the Scheme of Grading

- ◆ It will minimise misclassification of students on the basis of marks.
- ◆ It will eliminate unhealthy competition among high achievers.
- ◆ It will reduce societal pressure and will provide the learner with more flexibility.
- ◆ It will lead to a focus on a better learning environment.
- ◆ It will facilitate joyful and stress free learning.

Scheme of Examinations (Grading)

- ◆ The student's performance has been assessed using a conventional method of numerical marking.
- ◆ The 'Grades' have been awarded on a nine point scale to indicate the subject wise performance.

अंकों की श्रेणी	ग्रेड	ग्रेड अंक
91-100	ए1	10.0
81-90	ए2	9.0
71-80	बी1	8.0
61-70	बी2	7.0
51-60	सी1	6.0
41-50	सी2	5.0
33-40	डी	4.0
21-32	ई1
20 और इससे नीचे	ई2

Marks Range	Grade	Grade Point
91-100	A1	10.0
81-90	A2	9.0
71-80	B1	8.0
61-70	B2	7.0
51-60	C1	6.0
41-50	C2	5.0
33-40	D	4.0
21-32	E1	---
20 and below	E2	---

अर्हक—मानदण्ड

- ♦ अध्ययन की योजना के अनुसार जो छात्र (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) सभी विषयों में अर्हक ग्रेड (डी एवं ऊपर) प्राप्त करते हैं तो उन्हें एक अर्हक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ♦ अध्ययन की योजना के अनुसार (अतिरिक्त विषय को छोड़कर) सभी विषयों में जिन्हें अर्हक ग्रेड (डी एवं ऊपर) प्रदान किया गया है वे कक्षा—XI में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
- ♦ पूरक/अनुत्तीर्ण घोषित करने के चलन को समाप्त किया गया है। अभ्यर्थी का परिणाम निम्नलिखित दर्शाएगा:
 1. अर्हक प्रमाणपत्र के लिए पात्र (QUAL)
 2. निष्पादन में सुधार के लिए पात्र (EIOP)

Qualifying Criteria

- ♦ Those candidates who obtain the qualifying grades (D and above) in all the subjects excluding additional subject as per Scheme of Studies shall be awarded a Qualifying Certificate.
- ♦ Those awarded qualifying grades (D and above) in all the subjects excluding additional subject as per Scheme of Studies shall be eligible for admission in Class XI.
- ♦ The practice of declaring Compartment/ Fail has been discontinued. The result of candidate will now indicate:
 1. Eligible for qualifying certificate (QUAL)
 2. Eligible for improvement of performance (EIOP)

विषयवार निष्पादन का विवरण

- ♦ सभी छात्रों को जारी किए जाने वाले “विषयवार निष्पादन का विवरण” में ग्रेड, ग्रेड बिंदु (जीपी) और संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) दर्शाये जायेंगे।
- ♦ संचयी ग्रेड बिंदु औसत सभी विषयों (विषयों की योजना के अनुसार छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) में प्राप्त ग्रेड बिंदु का औसत है।
- ♦ ग्रेड बिंदु (जीपी) और संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) पर आधारित अंकों की प्रतिशतता का निर्धारण निम्नानुसार किया जा सकता है—
 - विषयवार अंकों की निर्देशात्मक प्रतिशतता = $9.5 \times \text{विषय का ग्रेड बिंदु}$
 - अंको का समस्त निर्देशात्मक प्रतिशतता = $9.5 \times \text{सीजीपीए}$

माध्यमिक परीक्षा में निष्पादन में सुधार के लिए पात्रता

यदि कोई छात्र एक अथवा सभी पांच विषयों में (अध्ययन की योजना के अनुसार छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) ई1 या ई2 ग्रेड प्राप्त करता है तो वह एक अथवा सभी पांच विषयों में लगातार पांच प्रयासों द्वारा निष्पादन में सुधार के लिए पात्र होगा।

मेरिट प्रमाणपत्र

- ♦ बोर्ड उन छात्रों को मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जिन्होंने अर्हक मानदण्ड के अनुसार माध्यमिक स्कूल परीक्षा में सभी पांच विषयों में (छठे अतिरिक्त विषय को छोड़कर) ए1, ग्रेड प्राप्त किया हो।

Statement of Subjectwise Performance

- ♦ The “Statement of Subjectwise Performance” to be issued to all candidates will reflect the Grade, Grade Point (GP) and Cumulative Grade Point Average (CGPA).
- ♦ Cumulative Grade Point Average (CGPA) is the average of Grade Points obtained in all the subjects (excluding 6th additional subject as per Scheme of Subjects).
- ♦ Based upon Grade point (GP) and Cumulative Grade Point Average (CGPA), percentage of marks can be computed as under indicated.
 - Subject wise indicative percentage of marks = $9.5 \times \text{GP of the subject}$
 - Overall indicative percentage of marks = $9.5 \times \text{CGPA}$

Eligibility for Improvement of Performance in Secondary Examination

A candidate obtaining Grade E1 or E2 in any or all the five subjects (excluding 6th additional subject as per the Scheme of Studies) shall be eligible for improvement of performance in any or all the five subjects through subsequent five attempts.

Merit Certificate

- ♦ The Board will award a Merit Certificate to such candidates who have obtained Grade A1 in all the five subjects (excluding the 6th additional subject) at the Secondary School examination, as per the qualifying criteria.